न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 88/2019

1. राजवीर पुत्र श्रीचंद जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. सुभाष पुत्र श्रीचंद जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा। :— **वादीगण**

ब ना म

1 श्रीचंद पुत्र नंदराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

3 एस.बी.आई. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक। :— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठियां **: वादीगण**
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 24.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174है0, खसरा सं0 187 की 8.106है0, खसरा सं0 217 की 7.714है0, खसरा सं0 282 की 5.590है0, खसरा सं0 620/173 की 2.276है0, खसरा सं0 624/284 की 1.518है0, खसरा सं0 626/217 की 2.529है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी श्रीचंद के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता नंदराम की खातेदारी हुआ करती थी। नंदराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 श्रीचंद ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं0 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया । प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकीह की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:29 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्लू राजवीर पुत्र श्रीचंद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कणाऊ खाता सं0 347/345 प्रदर्श 1 सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाऊ खाता सं0 310/309 प्रदर्श 2। सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाऊ खाता सं0 16/16 प्रदर्श 3। सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भूप्रबंध विभाग

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

संवत 2029–36 प्रदर्श 4। सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी खाता सं0 224 प्रदर्श 5। वारिस प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रदर्श 6 व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम चक कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 7 में वारिसप्रमाण पत्र में दो पुत्र राजवीर व सुभाष अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174है0, खसरा सं0 187 की 8.106है0, खसरा सं0 217 की 7.714है0, खसरा सं0 282 की 5.590है0, खसरा सं0 620/173 की 2.276है0, खसरा सं0 624/284 की 1.518है0, खसरा सं0 626/217 की 2.529है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी श्रीचंद के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम ग्राम कणाऊ में 15 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं 1 का नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 की वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये। इस प्रकार वादभूमि में वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174है0, खसरा सं0 187 की 8.106है0, खसरा सं0 217 की 7.714है0, खसरा सं0 282 की 5.590है0, खसरा सं0 620/173 की 2.276है0, खसरा सं0 624/284 की 1.518है0, खसरा सं0 626/217 की 2.529है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी श्रीचंद के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 राजवीर व वादी सं0 2 सुभाष को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 88/2019

1. राजवीर पुत्र श्रीचंद जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. सुभाष पुत्र श्रीचंद जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1 श्रीचंद पुत्र नंदराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

3 एस.बी.आई. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174है0, खसरा सं0 187 की 8.106है0, खसरा सं0 217 की 7.714है0, खसरा सं0 282 की 5.590है0, खसरा सं0 620/173 की 2.276है0, खसरा सं0 624/284 की 1.518है0, खसरा सं0 626/217 की 2.529है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी श्रीचंद के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 राजवीर व वादी सं0 2 सुभाष को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner